

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 386/सी-134/वि/नि/चार/2005, रायपुर, दिनांक 24 सितंबर, 2005  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।


विषय:- पेंशन एवं अन्य स्वत्वों, परिलाभों के त्वरित निराकरण के संबंध में ।

-----

उपरोक्त विषय के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि पेंशन एवं अन्य स्वत्वों, परिलाभों के त्वरित निराकरण हेतु गठित लोक अदालत की बैठकों में संबंधित विभाग के अधिकारी/प्रतिनिधि प्रायः उपस्थित नहीं होते हैं, साथ ही उनका रूख भी सहयोगात्मक नहीं रहता है । जिसके कारण प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब होता है एवं दूरस्थ अंचलों से आये पेंशनरों में भी निराशा उत्पन्न होती है ।

अतएव समस्त विभागों से अनुरोध है कि लोक अदालत की बैठकों में जिम्मेदार अधिकारी/प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावे, ताकि इन प्रकरणों का निराकरण त्वरित व समय-सीमा में हो सके ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(सतीश पाण्डेय)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 387/सी-134/वि/नि/चार/2005

रायपुर, दिनांक 24/09/2005

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
  4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
  5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/ मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छ.ग. रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
  7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
  8. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर ।
  9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
  10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
  11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
  14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
  15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
  16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग. ।
  17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
  19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
  21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. राज्य सूचना अधिकारी, राज्यीय सूचना केन्द्र (NIC), को वित्त विभाग की बेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(एस.के.चक्रवर्ती)

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग